<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू</u>

पीठासीन अधिकारी :— मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 41/2016

1. राजू सिंह पुत्र श्री फूलसिंह जाति राजपूत, निवासी जसरापुर, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।
2. सोहन सिंह पुत्र कृष्ण सिंह, जाति राजपूत, निवासी जसरापुर, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।
3. मोहन सिंह पुत्र कृष्ण सिंह, जाति राजपूत, निवासी जसरापुर, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।
4. दिनेश सिंह पुत्र रघुवीर सिंह,जाति राजपूत, निवासी जसरापुर, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 28.12.2015
बअदालत तहसीलदार खेतडी उनवानी प्रकरण सरकार बनाम राजू सिंह सिंह
मु.न. 184/2015 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट. भू राजस्व अधि. 1956

उपस्थितिः—

1 .श्री सुशील कुमार जोशी , एडवोकेट —— ——————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट————————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 15.06.2018

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 28.12.2015 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम राजू सिंह मु.न. 184/2015 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट. भू राजस्व अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार खेतडी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरूद्ध कानून एवं पत्रावली होन से निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थीगण को दिये गये नोटिस में वर्णित तथकथित रास्ता कभी रिकार्ड में नहीं रहा। तथाकथित रास्ता शिकायतकर्ता रिसाल सिंह ने रेवेन्यु अधिकारियों से साज कर केवल अपीलार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए यह रास्ता कायम करवाया हे। इस तथ्य पर अपीलार्थीगण की ओर से बहस भी की गई। हाल खसरा नंबर 1518 गत खसरा नंबर 810 का मीन खसरा नंबर है।

गतखसरा नंबर 810 के खातेदार गोपाल सिंह कल्लू सिंह,भूरसिंह, जवाहर सिंह आदि दर्ज थे। अप्रार्थीगण के पिता गत खसरा नंबर 785 के खातेदार है जिसकाहाल खसरा नंबर 1518 से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। हाल खसरा नंबर 1519, 1520, 1521 प्रार्थीगण के पिता खातेदार है। अप्रार्थीगण के पिता की खातेदारी में दर्ज गत खसरा नंबर 785 के पश्चिम दिशा गत खसरा नंबर 779, 777, 1242/779 की भूमि लगती है। इस खसरा नंबर के मध्य गत खसरा नंबर 810 की 0.06 हैक्ट भूमि किस प्रकार से आई और हाल खसरा नंबर 1518 बने। गत खसरा नंबर 810 अप्रार्थीगण के गत खसरा नंबर 785 से 8 खेत की दूरी पर स्थित है। अप्रार्थीगण के हाल खसरा नंबर 1521 के पश्चिम दिशा में हाल खसरा नंबर 1514 लगता है। इन दोनों खसरा नंबर के मध्य दो लाईन खींचकर इन दोनों लाइनों की मध्य की जगह को खसरा नंबर 1518 दर्ज किया जाकर रास्ता दर्शाया गया है। यह रास्ता न तो उत्तर दिशा में दर्शाया गया है और ना ही दक्षिण दिशा में दर्शाया गया है। सजरे नक्शे में यह नहीं दर्शाया गया है कि रास्ता कहां तक जाता है। जहां तक शिकायत कर्ता के खेत में बने मकानात के रास्ते का प्रश्न है तो रास्ता उसके खेत में कायम किया जाना चाहिए। इसके अलावा तथाकथित रास्ते के नक्शे को देख जावे तो स्पष्ट दर्शित होता है कि यह रासता खेत खसरा नंबर पुराना 779 नये खसरा नंबर 1514 में स्थित है। यदि अपीलार्थी के खेतत में स्थित है तो वह रास्ताकिसी अन्य राजस्व कर्मचारियों की भारी गलती अथवा साजिस के कारण वर्तमान नक्शे में दो लाईन खींची गई है जिन्हें दुररूत करवाने के लिए अप्रार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी में उनवानी भंवर सिंह आदि बनाम रिसाद सिंह आदि वाद नक्शा दुरूस्ती लंबित है। वाद लंबित रहने के दौरान अधीनस्थ न्यायालय को धारा 91 एल0 आर0 एक्ट के तहत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। अपीलार्थीगण ने कभी भी गैर मु0 रास्ते को अपनी खातेदारी भूमि में नहीं मिलाया है, क्योंकि जहां रास्ता बताया है, वहां कभी कोई रास्ता नहीं रहा। अपीलार्थी को आलौच्य निर्णय की जानकारी नहीं थी । अपीलार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुति के कई दिनोंपश्चात निर्णय सुनाया गया । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के समस्त तथ्यों पर गोर नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 28.12.2015 को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- अपीलार्थीगण को दिये गये नोटिस में वर्णित तथकथित रास्ता कभी रिकार्ड में नहीं रहा। तथाकथित रास्ता शिकायतकर्ता रिसाल सिंह ने रेवेन्यु अधिकारियों से साज कर केवल अपीलार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए यह रास्ता कायम करवाया हे। इस तथ्य पर अपीलार्थीगण की ओर से बहस भी की गई। हाल खसरा नंबर 1518 गत खसरा नंबर 810 का मीन खसरा नंबर है। गतखसरा नंबर 810 के खातेदार गोपाल सिंह कल्लू सिंह,भूरसिंह, जवाहर सिंह आदि दर्ज थे। अप्रार्थीगण के पिता गत खसरा नंबर 785 के खातेदार है जिसकाहाल खसरा नंबर 1518 से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। हाल खसरा नंबर 1519, 1520, 1521 प्रार्थीगण के पिता खातेदार है। अप्रार्थीगण के पिता की खातेदारी में दर्ज गत खसरा नंबर 785 के पश्चिम दिशा गत खसरा नंबर 779, 777, 1242/779 की भूमि लगती है। इस खसरा नंबर के मध्य गत खसरा नंबर 810 की 0.06 हैक्ट भूमि किस प्रकार से आई और हाल खसरा नंबर 1518 बने। गत खसरा नंबर 810 अप्रार्थीगण के गत खसरा नंबर 785 से 8 खेत की दूरी पर स्थित है। अप्रार्थीगण के हाल खसरा नंबर 1521 के पश्चिम दिशा में हाल खसरा नंबर 1514 लगता है। इन दोनों खसरा नंबर के मध्य दो लाईन खींचकर इन दोनों लाइनों की मध्य की जगह को खसरा नंबर 1518 दर्ज किया जाकर रास्ता दर्शाया गया है। यह रास्ता न तो उत्तर दिशा में दर्शाया गया है और ना ही दक्षिण दिशा में दर्शाया गया है। सजरे नक्शे में यह नहीं दर्शाया गया है कि रास्ता कहां तक जाता है। जहां तक शिकायत कर्ता के खेत में बने मकानात के रास्ते का प्रश्न है तो रास्ता उसके खेत में कायम किया जाना चाहिए। इसके अलावा तथाकथित रास्ते के नक्शे को देख जावे तो स्पष्ट दर्शित होता है कि यह रासता खेत खसरा नंबर पुराना 779 नये खसरा नंबर 1514 में स्थित है। यदि अपीलार्थी के खेतत में स्थित है तो वह रास्ताकिसी अन्य राजस्व कर्मचारियों की भारी गलती अथवा साजिस के कारण वर्तमान नक्शे में दो लाईन खींची गई है जिन्हें दुररूत करवाने के लिए अप्रार्थीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी में उनवानी भंवर सिंह आदि बनाम रिसाद सिंह आदि वाद नक्शा दुरूस्ती लंबितहै। वाद लंबित रहने के दौरान अधीनस्थ न्यायालय को धारा 91 एल0 आर0 एक्ट के तहत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। अपीलार्थीगण ने कभी भी गैर मु0 रास्ते को अपनी खातेदारी भूमि में नहीं मिलाया है, क्योंकि जहां रास्ता बताया है, वहां कभी कोई रास्ता नहीं रहा। अपीलार्थी को आलौच्य निर्णय की जानकारी नहीं थी । अपीलार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुति के कई दिनोंपश्चात निर्णय सुनाया गया । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के समस्त तथ्यों पर गोर नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय योग्य

अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 28.12.2015 को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही डोप फरमायी जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्टस द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 1581 किस्म गै0 मु0 रास्ता की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रकिया के तहत निर्णय पारित कर विधिसम्मत कार्यवाही की गई है । अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलांट का कथन है कि हस्तगत प्रकरण में विवादित रास्ता मौके पर कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा, ना ही कभी कटान में था। जिसका नक्शा दुरूस्त कराने के लिए अपीलार्थीगण भंवर सिंह आदि की तरफ से एक दावा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के न्यायालय में पेश कर रखा है जो उनवानी भंवर सिंह आदि बनाम रिसाल सिंह जिसके मु0नं0 123/2016 है। विवादित रास्ते से संबंधित खसरा नंबर पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश है ।

अधीनस्थ न्यायालय की अपत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा उक्त विवादित रास्ते के संबंध में मुकदमा संख्या 184/15 दर्ज कर निर्णय दिनांक 28.12.2015 द्वार अपीलार्थीगण को अतिक्रमी मानते हुये बेदखली का आदेश पारित किया गया है। इसके पश्चात इसी रास्ते के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध मु0नं0 55/16 उनवानी सरकार बनाम राजू सिंह आदि दर्ज कर निर्णय दिनांक 20.7.2016 द्वारा अपीलार्थीगण को पश्चातवृति अतिक्रमी मानकर तीन–तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करते हुये मौके से बेदखली का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील संख्या 49/16 दर्ज हुई है। इस प्रकार उक्त दोनों अपील एक ही विषय वस्तु विवादित रास्ते के संबंध में प्रस्तुत हुई हैं। अधीनस्थ न्यायालय के मुकदमा संख्या 55/16 में अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अपीलांट का कथन है उसे अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । अपीलार्थीगण भंवर सिंह आदि की तरफ से नक्शा दुरूस्त कराने के लिए एक दावा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के न्यायालय में पेश कर रखा है । अपील संख्या 49/16 का प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जा चुका है। दोनों प्रकरण एक ही रास्ते के विवाद को लेकर हैं । अतःइस अपील में भिन्न आदेश किया जाना कानूनन न्यायसंगत नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2015 उनवानी सरकार बनाम राजू सिंह आदि मु0नं0 184/15 निरस्त किया जाकर पत्रावली तहसीलदार खेतड़ी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि के वे दोनों प्रकरणों की पत्रावली एक साथ कर प्रकरण दर्ज करते हुये स्वयं वादग्रस्त स्थल का मौका निरीक्षण कर पक्षकरान को सुनवाई एंव साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये वादग्रस्त भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण कर राजस्व रिकार्ड एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी में विचाराधीन उक्त दावा के मध्यनजर विधिक प्रकिया के अन्तर्गत पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू